

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
कैम्प - रिबिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 201

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....श्रीसाधर.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....रामधन.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....महारावणसर.....पटवारी मण्डल.....खण्डवा पटवा पीबीसर
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071-74.....के खाता संख्या.....129.....में
खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....विलेखा.....अंकित है जो सही
जिसे सम्मानजनक रूप से.....श्रीसाधर.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....खण्डवा प. पीबीसर.....से करवाने पर पटवारी ने.....विलेखा.....के
बजाय.....श्रीसाधर.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....विलेखा.....
के बजाय.....श्रीसाधर.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....महारावणसर.....
के खाता संख्या.....129.....में खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....विलेखा.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....श्रीसाधर.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु



नं. न.
967
23-11-21